पुलिस आदेशांक 195/87 /

आरक्षियों के बुनियादी प्रशिक्षण/सहायक आरक्षी अवर निरीक्षक कोर्स के संबंध में पुलिस हस्तक में स्पष्ट नियम इंगित हैं जिनका दृढ़ता से अनुपालन आवश्यक है। उक्त प्रशिक्षणों के निमित्त आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। आरक्षियों के सी0 टी0 एस0 (बुनियादी) प्रशिक्षण के प्रति विस्तृत आदेश प्रशिक्षण आदेशांक 1/86 द्वारा निर्गत किया जा चुका है। परन्तु बहुधा देखा जाता है कि कुछ जिला/यूनिट अपने अधीन पदस्थापित मुख्य विशेषकर महिला आरक्षियों को अपने अधीन ही प्रशिक्षण की व्यवस्था कर देते हैं जो बिल्कुल नियम के विपरीत है। जहाँ कहीं भी इस प्रकार आन्तरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है, उसे कदापि मान्यता नहीं दी जा सकती है। संबंधित जिला/यूनिट के आरक्षी अधीक्षक इस प्रकार दिये गये प्रशिक्षण का ब्योरा अविलम्ब आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) को भेजेंगे ताकि नियमानुसार उचित कार्रवाई की जा सके।

पुलिस हस्तक नियम 660(सी) के प्रावधान के अनुसार बगैर सहायक अवर निरीक्षक कोर्स किये सहायक अवर निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है। इस नियम के अन्तर्गत किसी प्रकार के छूट की गुंजाईश नहीं है। यदि किसी कारणवश व्यक्ति विशेष को प्रशासनिक कार्य अवरूद्ध न हो इसलिए उक्त कोर्स कर उतीर्णता प्राप्त करने की प्रत्याशा में प्रोन्नति दी जा चुकी है तो उसका अर्थ यह नहीं समझा जाना चाहिए कि उन्हें कोर्स से विमुक्ति हो गयी है चूँकि नियमानुसार विमुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। बहुधा देखा गया है कि सहायक आरक्षी अवर निरीक्षक कोर्स से विमुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त होते हैं। चूँकि इस प्रकार विमुक्ति देने से उसके ... प्रोन्नति का लाभ व्यक्ति विशेष को मिल जायेगा जिससे अन्य कनीय पदाधिकारियों का वरीयता हनन होगा जिसका कुप्रभाव अनुशासन पर पड़ेगा तथा विभिन्न प्रशासनिक अड़चनें उत्पन्न होंगी, अतः यह आदेश दिया जाता है कि :--

1- किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति विशेष को सहायक अवर निरीक्षक कोर्स से पूर्ण विमुक्ति बिल्कुल ही नहीं दी जायगी।

2. अधिक आयु तथा किसी असाध्य बिमारी के कारण यदि किसी व्यक्ति विशेष को आउटडोर प्रशिक्षण करने से लाचारी हो तो ऐसी स्थिति में आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) द्वारा उन्हें एक या अधिक आउटडोर विषयों से विमुक्ति देने पर विचार किया जा सकता है।

3. इनडोर कक्षाओं तथा लिखित परीक्षा से किसी भी स्थिति में विमुक्ति नहीं दी जायगी तथा बगैर सहायक अवर निरीक्षक कोर्स में

उत्तीर्णता प्राप्त किये किसी व्यक्ति [विशेष] को सहायक अवर निरीक्षक पद पर सम्पुष्ट नहीं किया जायगा और नहीं अवर निरीक्षक पद पर प्रोन्नति ही दी जायगी ।

एकरूपता की दृष्टि से उपरोक्त स्वभाव के सभी केस का निष्टारा आरक्षी महानिरीक्षक [प्रशिक्षण] के अधीन शाखा द्वारा किया जायगा तथा पूर्व के यदि कोई ऐसे केस महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय के अन्य प्रशाखाओं में हो तो उन्हें अविलम्ब आरक्षी महानिरीक्षक [प्रशिक्षण] को भेज दिया जायगा ।

यह आदेश इस प्रकार के सभी केस पर लागू होगा । आरक्षी महानिरीक्षक [प्रशिक्षण] आवश्यकतानुसार ऐसे मामलों में महानिदेशक का आदेश प्राप्त करेंगे ।

30/8/87

[सत्य नारायण राय]

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,

बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 1215 / 52-22-4-04 स्था

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना, दिनांक 3 सितम्बर 1987.

प्रतिलिपि:--

सभी आरक्षी महानिरीक्षक

आरक्षी उप-महानिरीक्षक

आरक्षी अधीक्षक [रेल/विशेष शाखा/आ०अ०वि० सहित]

आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक

प्राचार्य, पी०टी०सी०, हजारीबाग

प्राचार्य, सी०टी०एस०, नाथनगर

प्रशाखा पदाधिकारी पी-1/पी-2/एल-2 शाखा को सूचनार्थ एवं अविलम्ब आवश्यक क्रियार्थ ।

30/8/87

[सत्य नारायण राय]

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,

पटना ।

कृष्णा

30.8.87